

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- उमा मित्तल

आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 84/2025

1. बलजीत सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह
2. सतवीर सिंह पुत्र बलजीत सिंह
3. सुखदीप कौर पत्नी बलजीत सिंह

जाति जटसिख साकिन अमरसिंहवाला तहसील  
पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

वादीगण

बनाम

1. जसकरण सिंह पुत्र काला सिंह जाति
2. सुखवीर सिंह पुत्र जसकरण सिंह
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।

जटसिख साकिन अमरसिंहवाला  
तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

प्रतिवादीगण

**दावा अन्तर्गत धारा 88,53,49(क) आर.टी.ए. बाबत घोषणा, खाता विभाजन एवं  
विनिमय  
डिक्री**

दिनांक :- 18/08/25

वादीगण की ओर से श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से श्री नवीन जैन अधिवक्ता व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88,53,49(क) के अन्तर्गत वाद मे निम्नानुसार खाता विभाजन कर विनिमय की घोषणा की जाती है कि -

1. वादीगण को चक 30 जेआरके के खाता सं. 28/26 के प.नं. 1/245 (26) किला नं. 12/.089, 19/4/.127, 20/1/.126 की 0.342 हैक्. ब.हि.ब. प्राप्त हुई विनिमय में प्रतिवादी सं.1 से प्राप्त हुई है, चक 30 जेआरके के खाता सं. 27/28 के प.नं. 1/245 (26) किला नं. 19/3/.126, 20/2/.127, 21/.253, 22/.253 की कुल तादादी 0.759 हैक्. भूमि ब.हि.ब. विभाजन में प्राप्त हुई है।

2. वादी सं. 2 को घरू बंटवारा व विनिमय में चक 30 जेआरके के खाता सं. 85/29 के प.नं. 1/245 (26) किला नं. 9, 10 की 0.506 हैक्. भूमि विनिमय में प्रतिवादी सं. 2 से प्राप्त हुई है, चक 30 जेआरके के खाता सं. 28/26 के प.नं. 1/245 (26) किला नं. 11/253, 12/1/164 (किला नं. 11 के चिपता) की 0.417 हैक्. भूमि विनिमय में प्रतिवादी सं.1 प्राप्त हुई है।

3. प्रतिवादी सं. 1 को चक 30 जेआरके के खाता सं. 27/28 के प.नं. 1/243 (5) किला नं. 1 ता 10, 11/3/.126, 12/1/.127, 13/1/.126, 14/.127, 15/1/.126 की हैक्. प.नं. 1/245 (26) किला नं. 23/.038, 24/.253, 25/.253 की 0.544 हैक्. प.नं. 1/246 (31) डि. 1/1/.228, 1/2/.025, 2/1/.228, 2/2/.025, 3/1/.228, 3/2/.025, 4/1/.228, 4/2/.025, 5/1/.228, 5/2/.025, 6 ता 10 की 2.530 हैक्.

भूमि बंटवारा में प्राप्त हुई है व प्रतिवादी सं. 1 को चक 30 जेआरके के खाता सं. 76/47 के

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा.

1/245 (26) किला नं. 6/.253, 7/1/0.164 की 0.417 हैक्. भूमि विनिमय में वादी सं. 2 से प्राप्त हुई है, व प्रतिवादी सं. 1 को चक 30 जेआरके के खाता सं. 27/28 के प.नं. 1/245 (26) किला नं. 18/2/.127, 23/.215 की 0.342 हैक्. भूमि विनिमय में वादीगण से ब.हि.ब. प्राप्त हुई।

4. प्रतिवादी सं. 2 को चक 30 जेआरके के खाता सं. 76/47 के प.नं. 1/245 (26) किला नं. 3/1/.228, 3/2/.025, 4/1/.228, 4/2/.025 की 0.506 हैक्. भूमि वादी सं. 2 से विनिमय में प्राप्त हुई है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न हों तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न हों, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होने की दशा में स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बाराणी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 18/08/25..... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



( उमा मित्तल )  
आर.ए.एस.  
उपखण्ड सहायक जिलाधिकारी एवं  
पदेन उपखण्ड सहायक जिलाधिकारी  
पीलीबंगा